

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग  
बिहार, पटना।

प्रेषक,

अनिल कुमार  
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

सभी विभाग,  
सभी विभागाध्यक्ष,  
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,  
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना, दिनांक...१३/९/२०१६

विषय:- प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों का संविदा के आधार पर नियोजन नहीं किये जाने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार के विभिन्न पदों पर बड़ी मात्रा में उत्पन्न रिक्तियों को ससमय नहीं भरे जाने के कारण विभागीय संकल्प ज्ञापांक- 10000 दिनांक- 10.07.2015 द्वारा सेवा निवृत्त सरकारी सेवकों की सेवा संविदा के आधार पर लिये जाने के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।


प्रसंगाधीन संकल्प की कंडिका 3(4)(v) में प्रावधानित है कि सामान्यतः प्रोन्नति की श्रृंखला वाले पदों पर उक्त व्यवस्था लागू नहीं रहेगी। परंतु विभागीय आदेश ज्ञापांक-11218 दिनांक- 12.08.2014 द्वारा राज्य सरकार की सभी सेवाओं एवं पदों (क्षेत्रीय कार्यालयों सहित) पर प्रोन्नति हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक के आयोजन को स्थगित कर दिये जाने से प्रोन्नति के पदों पर भी संविदा के आधार पर नियोजन पर सहमति प्रदान की जाने लगी।

सम्प्रति विभागीय पत्रांक- 4800 दिनांक- 01.04.2016 के प्रावधानों के आलोक में सरकारी सेवकों को प्रोन्नति दिये जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है।

अतः सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया जाता है कि प्रोन्नति के पद पर संविदा के आधार पर नियोजन से प्रोन्नति की प्रक्रिया बाधित होने की संभावना को देखते हुए प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों पर सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों का संविदा के आधार पर नियोजन नहीं किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

परंतु इस प्रावधान के होते हुए भी प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाले ऐसे पद, जिनके फीडर कैडर में अगले एक वर्ष तक प्रोन्नति पाने योग्य सरकारी सेवक उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं हो, तथा पद रिक्त रहने से कार्य की अपूरणीय क्षति होती हो तो ऐसे पदों पर संविदा के आधार पर सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों का नियोजन किया जा सकेगा। फीडर कैडर में प्रोन्नति पाने योग्य सरकारी सेवक उपलब्ध होते ही प्रोन्नति के पद पर किया गया ऐसा नियोजन समाप्त कर दिया जाएगा।

विश्वासभाजन




(अनिल कुमार)

सरकार के विशेष सचिव,

ज्ञापांक- 3/एम0-28/2016सा0प्र0...../ पटना-15, दिनांक- 23-8-16

प्रतिलिपि:- सचिव, राजस्व पर्षद/अध्यक्ष, बिहार लोक सेवा आयोग/विभागीय जाँच आयुक्त/बिपार्ड, बाल्मि, बिहार, घटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(अनिल कुमार)

सरकार के विशेष सचिव